

योजना का क्रियान्वयन

मास्टर प्लान किसी नगर के विकास के सम्भावित अवसरों का चित्रण मात्र है और इसे तभी मूर्त रूप प्रदान किया जा सकता है जब इसको क्रियान्वयन करने के लिये शक्तिशाली कदम निर्धारित समय में उठाये जायें। कोटा का प्रारूप मास्टर प्लान तैयार करते वक्त एक विवेक सम्मत एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण का आधार बनाया गया है। वर्तमान उद्योगों को कम से कम स्थान परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया है। सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं को पर्याप्त स्तर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। नगर में अच्छी सुविधाएँ विकसित करने एवं सार्वजनिक सुविधाओं में वृद्धि करने और कोटा को आवास एवं पर्यटन की दृष्टि से स्वास्थ्यकर स्थान बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही योजना को तैयार किया गया है।

6.1 वर्तमान आधार

वर्तमान स्थानीय अभिकरण, यथा सम्भव नगर निगम का गठन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 एवं नगर विकास न्यास का गठन राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। यह अधिनियम स्थानीय निकायों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उतने समुचित अधिकार प्रदान नहीं करते हैं, जिससे सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र के विकास कार्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से विनियमित किया जा सके। हालांकि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में नगर पालिकाओं / निगमों को समुचित अधिकार प्रदान किये गये है। नगर में अन्य कई सार्वजनिक संस्थाएँ भी कार्यरत हैं, जो अपने कार्य क्षेत्रों में निर्धारित नियमों, विनियमों एवं मानकों के अनुसार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है।

6.2 प्रस्तावित आधार

खण्ड क्रिया पर आधारित विखण्डित प्रगति, समन्वित विकास की योजनाओं में गंभीर समस्याएँ उत्पन्न करती हैं। अतः किसी भी दीर्घकालीन योजना की सफलता के लिये योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों ही स्तर पर समन्वय का विशेष महत्व है। स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त अधिकार, समुचित वित्तीय संसाधन और तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वह एकल विकास एवं समन्वयक संगठन के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर सके। अतः प्रस्तावित किया गया है कि स्थानीय निकायों को पर्याप्त मजबूती और समुचित अधिकार प्रदान किये जाये, जिससे सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की योजना और विकास क्रियाओं पर इनका समग्र नियन्त्रण हो। इस दृष्टि से आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक उपाय करने होंगे।

6.3 जन सहभागिता एवं जन सहयोग

किसी भी नगर का विकास अन्ततः उसके नागरिकों की आशाओं एवं आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान के उद्देश्यों की त्वरित प्राप्ति के लिये यह आवश्यक है कि नागरिकों को सम्पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाये। कोई भी योजना जो जनता के हित एवं कल्याण हेतु बनाई जाती है, जनता की सक्रिय सहभागिता के बिना किसी भी हाल में सफल नहीं हो सकती है।

6.4 भू-उपयोग अंकन एवं अवाप्ति

मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क विन्यास तथा विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं तथा विशेष बाजारों के भू-उपयोग का स्थल पर अंकन नहीं होने से आम जनता को उनकी वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं हो पाती। अतः यह आवश्यक है कि नगर विकास न्यास मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़कों, विशेष बाजारों एवं सार्वजनिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित भू-उपयोग का स्थल पर अंकन करें, जिससे उन प्रस्तावित सड़कों एवं भू-उपयोग के स्थलों में अनाधिकृत निर्माण या विकास नहीं हो। मास्टर प्लान के विभिन्न योजना क्षेत्रों के मानचित्र मुख्य स्थलों पर स्थायी रूप से प्रदर्शित किये जायें।

साथ ही यह भी आवश्यक है कि विभिन्न सड़कों, विशेष बाजारों एवं सार्वजनिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित भू-उपयोगों के अन्तर्गत आ रही निजी भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही नगर विकास न्यास/सम्बन्धित विभागों द्वारा समयबद्ध तरीके से की जाये, जिससे आम जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं एवं अधिकार से वंचित नहीं रहें तथा मास्टर प्लान में प्रस्तावित सुनियोजित विकास की उपलब्धि हांसिल की जा सके। निजी भूमि पर योजनाओं के विकास हेतु अन्य राज्यों में प्रचलित नगर नियोजन नियमों का अध्ययन कर व्यावहारिक व्यवस्था लागू की जाना प्रस्तावित है।

मास्टर प्लान में भू-उपयोग सामान्य रूप से ही दर्शाया जाता है। भू-उपयोग निश्चित करना एक जटिल प्रक्रिया है, इस सम्बन्ध में मुख्य नगर नियोजक अथवा उनके प्रतिनिधि ही अंतिम निर्णय देने के लिये सक्षम हैं। यह भी संभव है कि पूर्व में हुये कुछ भू-उपयोग परिवर्तन सहवन (त्रुटिवश) से छूट सकते हैं, अतः उनकी जानकारी होने पर उन्हें समायोजित कर लिया जायेगा।

मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियाँ / अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये भू-योजना मानचित्र-2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है।

सहवन से यदि सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी की गई स्वीकृति यथा 90 बी के आदेश, आवंटन, भूमि रूपान्तरण व नियमन, भू-उपयोग परिवर्तन, योजना का अनुमोदन, भवन निर्माण स्वीकृति आदि का समायोजन नहीं हो पाया है, तो उसे समायोजित माना जाएगा एवं ऐसे प्रकरण में नगर नियोजन विभाग के परीक्षणों उपरान्त नगर नियोजन विभाग की सिफारिश पर समायोजित मानी जायेगी।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है, तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी, नालों तथा

जलाशयों इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास / निर्माण / नियमन / रूपांतरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हों। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

6.5 विस्तृत योजना हेतु अतिरिक्त बिन्दु

6.5 (1) कोटा मास्टर प्लान में विभिन्न स्थलों पर बस अड्डे हेतु स्थल आरक्षित किये गये हैं। आवश्यकताओं के दृष्टिगत इन स्थलों की विस्तृत कार्य योजना बनाते समय इन्द्रा-सिटी बस अड्डे हेतु भी भूमि आरक्षित की जावे।

6.5 (2) आपदा प्रबन्धन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश, विभिन्न विभागों के प्रावधान यथा नगर निगम एवं नगर विकास न्यास के भवन विनियम, सिंचाई विभाग के उच्चतम बहाव स्तर (HFL), विद्युत विभाग के सुरक्षात्मक मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे।

6.5 (3) चम्बल पार क्षेत्र में विकास के दृष्टिगत खेड़ली फाटक सड़क को बालिता सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता है। इस हेतु इस एलाइनमेंट में चम्बल नदी पर अतिरिक्त पुल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है । इस सड़क पर भविष्य में यातायात की दृष्टि से वर्तमान चौड़ाई 60 फीट को बढ़ा कर 80 फीट किया जाना प्रस्तावित है ।

6.5 (4) शहर के मध्य चल रही औद्योगिक इकाईयाँ, गोदाम एवं अन्य गतिविधियाँ जिनके कारण पर्यावरण एवं यातायात की समस्या उत्पन्न हो रही है, को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु पृथक से नीति निर्धारित की जावे।

6.5 (5) जलाशयों, नहरों व प्रमुख नालों इत्यादि के साथ-साथ विस्तृत योजना बनाते समय न्यूनतम 12 मीटर बफर जोन छोड़ा जावे जिसमे सड़क / वृक्षारोपण का प्रावधान रखा जा सकेगा।

6.5 (6) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित/ प्रस्तावित बाईपास सड़कों यथा राष्ट्रीय राजमार्ग 12 बाईपास सड़क पर बल्लोप से शम्भूपुरा तक, राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर झालावाड़ सड़क से राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बाँरा सड़क तक एवं उत्तरी बाईपास सड़क, के समानान्तर दोनों ओर 100 फीट चौड़ी अतिरिक्त सड़क का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है ताकि बाईपास के साथ-साथ मास्टर प्लान में प्रस्तावित क्षेत्र के विकास से यातायात का दबाव सीधे राजमार्ग पर न हो एवं शहरी एवं क्षेत्रीय यातायात को पृथक किया जा सके।

6.6 उपसंहार

कोटा नगर का यह मास्टर प्लान (प्रारूप) आगामी 20 वर्षों के लिये तैयार किया गया है। अतः नगर का विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाना आवश्यक है, जिससे मूलभूत सुविधाओं का समुचित उपयोग किया जा सके। मास्टर प्लान अनुवर्तन कार्यक्रम के अन्तर्गत मास्टर प्लान क्षेत्र के चरणबद्ध विकास हेतु वांछित योजना निर्धारित समय में तैयार की जायेगी। मास्टर प्लान के क्रियान्वयन हेतु जन जागरूकता, जन सहयोग एवं स्थानीय निकायों व अन्य विभागों द्वारा मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप समयबद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

6.7 योजना का क्रियान्वयन

कोटा नगर के मास्टर प्लान में नगर में भावी नियोजित विकास हेतु आगामी 20 वर्षों (वर्ष 2031) तक के लिए विभिन्न क्रियाकलापों हेतु प्रस्ताव रखे गये है। स्थानीय निकाय मास्टर प्लान की सफल क्रियान्विति समयबद्ध, चरणबद्ध एवं उपलब्ध संसाधनों व तत्कालीन आवश्यकता के मद्देनजर सुगठित पंचवर्षीय योजना बनाकर करें। इस प्रकार स्थानीय निकाय आगामी 20 वर्षों के लिए चार चरणों में विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श कर एक कार्यकारी योजना तैयार करेगी व मास्टर प्लान की अनुवर्ती योजना के क्रम में विस्तृत योजना प्लान तैयार करवायेगी व उसकी क्रियान्विति नियोजित विकास की दृष्टि से करवायेगी। इस प्रकार विभिन्न चरणों में आवासीय, परिवहन, वाणिज्यिक व अन्य सुविधाओं आदि का विकास होगा।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी0बी0 सिविल रिट पीटीशन नं0 1554/2004 के अन्तर्गत कोटा शहर का मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित परिधि नियन्त्रण पट्टी क्षेत्र में किसी भी अन्य नगरीय उपयोग हेतु भू-उपयोग परिवर्तन पर रोक है। अतः मास्टर प्लान-2023 में प्रस्तावित परिधि नियन्त्रण पट्टी क्षेत्र का वह क्षेत्र/भाग जिसे मास्टर प्लान-2031 नगरीय उपयोगों हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है, को मास्टर प्लान मानचित्रों में नगरीय उपयोगों हेतु दर्शा दिया गया है, लेकिन इन उपयोगों के संबंध में अग्रिम कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर वाद के अन्तिम निर्णय के पश्चात् ही की जानी है।

